2-C114 - 800=00

प्रपत्र सं0 8 निबन्धन

(भाग 1) 624168

...ा अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

क्रम संख्या

लेख्य या प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 28/01/15

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम सचिव मल्लिकार्जुन विद्यापीठ श्री रघुवर दत्त जोशी

लेख्य का प्रकार ग्रा0 मल्लिकार्जुन सीरीपट्

प्रतिफल की धनराशि सेकेन्ड्री स्कूल स्योली

1–रजिस्ट्रीकरण शुल्क पिथौरागढ़

2–प्रतिलिपिकरण शुल्क

3–निरीक्षण या तलाश शुल्क

4–मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क 400=00

5–कमीशन शुल्क 10=00

6–विविध 10=00

7–यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

...क वसूल करने का दिनांक 28/01/15

दि...क जब लेख्य प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण–पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर सब रजिस्ट्रार डीडीहाट

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 निबन्धन/690–14–02–2006–25,000 रजि0 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)। 1120=00

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
...ल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

पुस्तक IV, खण्ड I, संख्या 02/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 435898

(हरीश चन्द्र जोशी)

(कृष्णवीर वल्दिया)

(भास्करानन्द जोशी)

न्यास/ट्रस्ट विलेख

"मल्लिकार्जुन विद्यापीठ एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट"

आज दिनांक 28.01.2015. को यह ट्रस्ट/न्यास विलेख हम कि हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री रघुवर दत्त जोशी, निवासी–मल्लिकार्जुन सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, ऐंचोली, पिथौरागढ़, कृष्णवीर वल्दिया पुत्र श्री उमेद सिंह वल्दिया निवासी पूर्णागिरि मार्बल, अमाऊं, तह0–खटीमा, जिला–ऊ0सिं0नगर, भास्करानन्द जोशी पुत्र श्री गणेशदत्त जोशी, निवासी–साल बोझी नं0–3, नौगवांठग्गू, तह0–खटीमा, जिला–ऊ0सिं0नगर, के निवासीगण हैं। समाज की सेवा करने के उद्देश्य से विशेषकर उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हायर शिक्षा, सेकेन्ड्री शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियनिंग एवं अन्य टैक्नीकल शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा, विधि शिक्षा व उससे संबंधित सभी प्रकार के व्यवसायिक शिक्षा व पर्यावरण शिक्षा को संचालित करने व उसका प्रचार–प्रसार करने जिससे कि समाज के सभी वर्गों को व विशेषकर समाज के निम्न स्तर के विद्यार्थियों को विशेष सहायता के द्वारा सामान्य शिक्षा देने के उद्देश्य से "मल्लिकार्जुन विद्यापीठ एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट" का गठन करते हैं। ये सभी सदस्य आगे चलकर मुख्य ट्रस्टी/न्यासी कहलायेंगे।

यह कि हम न्यासकर्ताओं/ट्रस्टियों ने 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) से ट्रस्ट/न्यास गठित करने का निश्चय किया है। यह धनराशि न्यास फण्ड है। जिसके सदस्य, पद व

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
(पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

(28)

क्रमांक 14861 मूल्य 1000 दि० 19/09/14
नाम भास्करानन्द जोशी
पता टकाणा
शामिल नं०.........

मो० मुनिश
स्टाम्प विक्रेता
ख०–खटीमा(ऊ०सि०नगर)

उपकोषागार खटीमा
कैश सं०
12 SEP 2014
उ०कोषाधिकारी
रा०कोषैकेश

लेखपत्र ट्रस्ट डीड
रू० शु० 400=00 प्र० शु० 10=00 तु० शु० 10=00 योग 420=00 लगभग 1000=00
(1) श्री हरीश चन्द्र जोशी
पुत्र रघुवर दत्त जोशी पेशा प्राइवेट कार्य
निवासी ग्राम मल्का जल हो० स्कूल स्योली
तहसील पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़ ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार डीडीहाट आज दिनांक 28-01-15 को दिन ---- व ---- बजे के बीच प्रस्तुत किया।

(2) कृष्ण वीर वाल्दिया पुत्र ... वाल्दिया ग्राम पुनौ... जमाऊ त० खटीमा U.S.N
(3) भास्करानन्द जोशी पुत्र ... दत्त जोशी ग्रा० साल बाजी न० 3 ... त० खटीमा U.S.N

सब रजिस्ट्रार
डीडीहाट

प्रस्तुत लेख पत्र का सम्पादन तथा विक्रय धन मुबलिक रू० ट्रस्ट डीड मात्र की धरोहर प्राप्ति को उक्त श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री रघुवर दत्त जोशी ने लेखपत्र भली प्रकार पढ़सुन व ... के स्वीकार किया जिसकी पहचान 1- श्री मोहन सिंह पुत्र श्री साबन सिंह पेशा पेंशन निवासी ग्राम गाल पट्टी क्षेत्र पुर्खा व 2- श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री चन्द्री चन्द्र पेशा कृषि निवासी ग्राम गाल पट्टी क्षेत्र वल्ला (विशेष) तहसील डीडीहाट उक्त ने की।

सब रजिस्ट्रार

सब रजिस्ट्रार
डीडीहाट

(हरीश चन्द्र जोशी) (कृष्णवीर वाल्दिया) (भास्करानन्द जोशी) गवाह I (मोहन सिंह) गवाह II (रमेश चन्द्र)

मोहन सिंह

सब रजिस्ट्रार
डीडीहाट

(29)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 435899

नियमावली निम्न प्रकार होगी–

1– सदस्य–

क्र.सं. नाम/पिता का नाम/पता	पद
1– श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री रघुवर दत्त जोशी निवासी मल्लिकार्जुन सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, ऐंचोली, पिथौरागढ	अध्यक्ष
2– श्री भास्करानन्द जोशी पुत्र श्री गणेशदत्त जोशी निवासी–साल बोझी नं0–3, नौगवांठग्गू, खटीमा	सचिव
3– श्री कृष्णवीर सिंह वल्दिया पुत्र श्री उमेद सिंह वल्दिया निवासी–पूर्णागिरि मार्बल, अमाऊं, खटीमा	कोषाध्यक्ष

2– ट्रस्ट/न्यास का कार्यालय–

ट्रस्ट/न्यास का कार्यालय, थल, तहसील–बेरीनाग, जिला–पिथौरागढ़ व चम्पावत न्यास द्वारा संचालित संस्थानों पर ही होगा।

3– ट्रस्ट का उद्देश्य–

अ) प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय खोलना, संचालन व शिक्षा का संरक्षण आदि कार्य करना।

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
थल (पिथौरा.गढ़) (उत्तराखण्ड)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 435900

ब) उच्च व उच्चतर शिक्षा जैसे चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा व अन्य प्रकार की टैक्नीकल शिक्षा एवं प्रबन्धकीय शिक्षा एवं शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, उनका प्रबन्ध, संचालन एवं नियंत्रण करना।

स) कमजोर विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता देना व अन्य सभी प्रकार की सहायता देना।

द) शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु धन दान में लेना व सम्पत्ति क्रय करना।

य) समाजोपयोगी कार्य करना, पर्यावरण, गरीबी, बाल विकास, चिकित्सा, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शासन के सहयोग से कार्य करना।

4- <u>ट्रस्ट/न्यास का कार्यक्षेत्र</u>- समस्त उत्तराखण्ड

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
थल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 435901

नियमावली

"मल्लिकार्जुन विद्यापीठ एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट"

1- ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग निम्न हैं-

क) **आजीवन सदस्य-** आजीवन सदस्य न्यास के संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक सदस्यों के रक्त सम्बन्धी (पुत्र/पौत्र) ही आजीवन सदस्य भविष्य में होंगे।

ख) **विशिष्ट सदस्य-** न्यास के हित में कार्य करने वाले व्यक्ति जो दो वर्ष के लिए ट्रस्टियों/न्यासियों की सहमति से नियुक्त किये जायेंगे, विशिष्ट सदस्य कहलायेंगे। दो वर्ष के पश्चात इनकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जायेगी।

2- सदस्यता की समाप्ति-

सामान्यतः ट्रस्ट/न्यास के सदस्य आजीवन सदस्य रहेंगे तथापि निम्न परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त हो जायेगी-

क) मृत्यु होने पर

ख) पागल होने पर

ग) न्यायालय द्वारा गंभीर अपराध के लिए दण्डित होने पर

घ) ट्रस्ट/न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर

ङ) त्याग पत्र देना

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
बल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

(35)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 435902

3- **ट्रस्ट/न्यास के अंग-**

क) साधारण अंग ख) कार्यकारिणी

क) साधारण अंग (सभा)

ट्रस्ट/न्यास के सभी सदस्यों के सम्मिलित रूप को साधारण अंग कहा जायेगा। जिसमें आजीवन सदस्यों व विशिष्ट सदस्यों के एकीकृत रूप को साधारण अंग के तौर पर जाना जा सकेगा। साधारण अंग के सदस्यों की संख्या मुख्य ट्रस्टी सदस्यों को मिलाकर किसी भी स्थिति में 8 से ऊपर नहीं होगी। साधारण अंग मुख्य ट्रस्टी सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में मुख्य ट्रस्टी सदस्य अन्य सदस्यों को एकराय से हटा भी सकते हैं।

अ) बैठकें- सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता होने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

ब) सूचना अवधि- सामान्य बैठक हेतु 5 दिन पूर्व आवश्यक बैठक हेतु अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है। सूचना मोबाइल द्वारा, एस0एम0एस0 द्वारा या ई-मेल के द्वारा भी दी जा सकती है।

स) साधारण अंग के अधिकार एवं कर्तव्य- साधारण सभा द्वारा ट्रस्ट/न्यास कार्यकारिणी के समक्ष सुझाव एवं प्रस्ताव न्यास की नीतियों के विषय

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
...ल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 435903

पर रखे जायेंगे। तथा रिक्त पदों पर मनोनयन की सलाह दी जायेगी। साधारण सभा का कार्यकाल दो वर्ष का ही होगा।

ख) ट्रस्ट/न्यास की कार्यकारिणी–

अ) **गठन**– ट्रस्ट/न्यास की कार्यकारिणी का गठन ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा होगा और एक पद पर एक ट्रस्टी दो वर्ष ही कार्य करेगा, उसके पश्चात निम्न प्रकार से परिवर्तन होते रहेंगे–अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का पद, सचिव अध्यक्ष का पद, और कोषाध्यक्ष सचिव का पद ग्रहण करते रहेंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारी हर तीन वर्ष में आरोही क्रम में स्वयं ही नया पदभार ग्रहण करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के चयन की आवश्यकता नहीं होगी। स्पष्ट करना है कि इस परिवर्तन हेतु किसी प्रकार के मत विभाजन या मतदान भी नहीं होगा।

ब) **बैठकें**– ट्रस्ट/न्यास की कार्यकारिणी वर्ष में कम से कम दो एवं आवश्यकता होने पर कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है।

स) **सूचना अवधि**– सामान्य बैठक हेतु चार दिन पूर्व एवं विशेष बैठक हेतु एक दिन पूर्व या अल्प सूचना पर जो 24 घंटे से कम हो सकती है, बैठक बुलाई जा सकती है किन्तु कारण दिया जाना आवश्यक है।

द) **गणपूर्ति**– कार्यकारिणी के कोरम हेतु मुख्य आजीवन सदस्यों/ट्रस्टी में से तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
बल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

(39)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 682109

4- <u>रिक्त स्थान की पूर्ति-</u>

कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर कार्यकारिणी ही नये पदाधिकारी सदस्यों की नियुक्ति करेगी किन्तु यदि पद रिक्त करने वाले सदस्यों ने अपने स्थान पर किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया है तो उसके स्थान पर वह ट्रस्ट में स्वमेव सदस्य होगा। यदि कोई सदस्य त्यांगपत्र देकर जाता है तो उसके बाद नये सदस्य का चयन शेष पदाधिकारियों की आम सहमति से होगा।

नोट- यदि मुख्य ट्रस्टियों में से किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी स्वयं ही मुख्य ट्रस्टी/कार्यकारिणी के पदाधिकारी के रूप में जाना जायेगा।

5- <u>कार्यकारिणी पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-</u>

क) **अध्यक्ष-** ट्रस्ट/न्यास की बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट/न्यास की चल-अचल सम्पत्ति की देखभाल करना एवं देखभाल हेतु आवश्यकता पड़ने पर कमेटी गठित करना/कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु बैठक बुलाना, कर्मचारियों को मुक्त करना, दान-अनुदान स्वीकार करना, ट्रस्ट/न्यास के द्वारा एवं ट्रस्ट/न्यास के खिलाफ होने वाली किसी भी विधिक या अन्य कार्यवाहियों के संचालन हेतु बैठकों की अध्यक्षता करना एवं कार्यकारिणी के बहुमत से उस पर अन्य व्यक्ति को अधिकृत करना।

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
थल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 68211

ख) **सचिव**– ट्रस्ट/न्यास की कार्यकारिणी की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, ट्रस्ट/न्यास की ओर से पत्राचार करना एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यक कार्य करना।

ग) **कोषाध्यक्ष**– ट्रस्ट/न्यास के कोष का रख–रखाव करना, आय–व्यय संबंधी समस्त प्रपत्र तैयार करना, ट्रस्ट/न्यास का चार्टडट एकाउटेंट से ऑडिट करवाना, उसे सचिव के सहयोग से कार्यकारिणी के समक्ष पेश करना एवं ट्रस्ट के खाते का संचालन करना।

6– ट्रस्ट/न्यास का कोष–

ट्रस्ट/न्यास का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय बैंक अथवा डाकघर में खोला जायेगा। खाते के धन का आदान–प्रदान कोषाध्यक्ष/सचिव/अध्यक्ष किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से निकाला जा सकेगा।

7– ट्रस्ट/न्यास के नियमों व विनियमों में संशोधन–

ट्रस्ट/न्यास के नियमों व विनियमों में संशोधन दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है। जिस हेतु ट्रस्ट/न्यास कार्यकारिणी द्वारा अलग से प्रस्ताव की आवश्यकता होगी।

8– अतिरिक्त–

क) ट्रस्ट/न्यास सामाजिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए अपने उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकती है। किन्तु निजी लाभ के लिए कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
थल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 882111

ख) राजनीति कार्यों से ट्रस्ट/न्यास दूर रहेगी। धार्मिक, सामाजिक व शैक्षिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी।

ग) ट्रस्ट/न्यास में कोई भी विवाद होने पर ट्रस्ट/न्यास के सदस्य पांच सदस्यों की कमेटी गठित करेगी जो कि ट्रस्ट/न्यास के किसी भी तरह के विवाद पर निर्णय दे सकेगी। पंचाट के निर्णय के पश्चात यदि कोई ट्रस्टी/न्यासी उससे सहमत नहीं होता है तो वह पंचाट के निर्णय के खिलाफ सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

घ) ट्रस्ट/न्यास अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सकता है, उसे बैंक में बंधक रख सकता है, भूमि व भवन, पट्टे/लीज पर ले सकता है, पट्टे पर भूमि लेकर उस पर ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्माण कार्य करवा सकता है, किसी संस्था या व्यक्ति के साथ ट्रस्ट/न्यास के विकास के लिए एग्रीमेंट (Contact) कर सकता है। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए समय-समय पर बैंक व अन्य फाईनेंसियल संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं।

ङ) ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टी भूमि, भवन, धन, सरकार/संस्था से ऋण अनुदान का सहयोग या दान व चन्दा दान स्वरूप ले सकते हैं।

च) किसी न्यासी/ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट/न्यास में किसी कार्य का सम्पादन ट्रस्टी/न्यासी के रूप में करने पर उस कार्य में हुए अपने व्यय को लेने का अधिकार होगा।

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
थल (पिथौरागढ) (उत्तराखण्ड)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 6821

9- <u>ट्रस्ट/न्यास का विघटन-</u>

ट्रस्ट/न्यास का विघटन भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882 के प्रावधानों के अनुसार ही होगा।

आज साक्षीगणों की उपस्थिति में हम सभी ट्रस्टियों/न्यासियों ने यह दस्तावेज पढ़, सुन व समझकर हस्ताक्षरित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

दिनांक-

हस्ताक्षर ट्रस्टी/न्यासी

1- श्री हरीश चन्द्र जोशी
(अध्यक्ष)

2- श्री भास्करानन्द जोशी
(सचिव)

2- श्री कृष्णवीर सिंह वल्दिया
(कोषाध्यक्ष)

हस्ताक्षर गवाहान

मोहन सिंह
1- मोहनसिंह पुत्र श्री सोबनसिंह
निवासी ग्राम गोल पो०ओ० थल
तह० बेरीनाग (पिथौ०)

रमेश चन्द्र
2- रमेश चन्द्र पुत्र श्री चन्द्रीचन्द
निवासी ग्राम गोल पो०ओ० थल
तह० बेरीनाग जिला पिथौ०

(10)

सचिव
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ
थल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)

(46)

उपकोषागार खटीमा
स्टाम्प सं0
22 AUG 2014
ले0कैश/उपकोषाधिकारी

[illegible] मूल्य 50 दि0 18/09/14
नाम [illegible] विद्यापीठ
पता — [illegible]
शामिल सं0..........

मो0 मुनिश सिद्दीकी
स्टाम्प विक्रेता
तह0—खटीमा(ऊ0सि0नगर)

आज दिनांक 28-01-2015 को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक सं0 IV खण्ड I के
पृष्ठ 27-46 पर संख्या 02/2015 पर
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

सब रजिस्ट्रार
डीडीहाट